

विषय:-राजस्थान पुलिस बैण्ड नियम 1983 के नियम 7(1) में संशोधन।

इस विभाग के सगसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2005 में संशोधन कर राजस्थान पुलिस बैण्ड नियम 1983 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ब्रांस एवं पाईप बैण्ड की किराये पर देने की दरे निम्नानुसार निधारित करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये दरे पुलिस एवं आरएसी बैण्ड पर समान रूप से लागू होगी :-

**ब्रांस बैण्ड की दरे :-**

	स्थान	अवधि	वर्तमान दर		प्रस्तावित दरे	
			फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड	फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड
ए	जयपुर	1 घण्टे	3000/-	2000/-	7500/-	5000/-
		2 घण्टे	4000/-	3000/-	10000/-	7000/-
		3 घण्टे	5500/-	4000/-	13500/-	10000/-
बी	अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतापुर	1 घण्टे	2000/-	1200/-	5000/-	3000/-
		2 घण्टे	3000/-	2000/-	7000/-	5000/-
		3 घण्टे	3600/-	2800/-	8000/-	6000/-
सी	झुनझुनू, दोसा, सवाई माधोपुर, नागौर, बारा, राजसमंद, सिरौही, धौलपुर, टोंक	1 घण्टे	1200/-	-	3000/-	-
		2 घण्टे	2000/-	-	5000/-	-
		3 घण्टे	3000/-	-	7500/-	-

**पाईप बैण्ड की दरे :-**

	स्थान	अवधि	वर्तमान दर		प्रस्तावित दरे	
			फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड	फुल बैण्ड	हॉफ बैण्ड
बी	श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ़, अजमेर	1 घण्टे	800/-	500/-	2000/-	1200/-
		2 घण्टे	1200/-	800/-	3000/-	2000/-
		3 घण्टे	1600/-	1200/-	4500/-	3500/-
सी	टोक, अलवर, करौली, बून्दी, झालावाड़, चुरु, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर, पाली, खैरवाड़ा	1 घण्टे	600/-	-	1500/-	-
		2 घण्टे	1000/-	-	2500/-	-
		3 घण्टे	1400/-	-	4000/-	-

**परिवहन व्यय**

1. जिला मुख्यालय पर रु 500/-
2. जिला मुख्यालय सीमा से बाहर 10 कि.मी. तक रु 500+250=750/-
3. 10 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए रु 750+10 रु प्रति अतिरिक्त कि.मी.